

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जसविन्द्र सिंह बनाम दर्शन सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 05 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/129

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

21.04.2025

प्रार्थी जसविन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह के द्वारा कैंवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 29 एच के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 11, 39, 45, 59/7 की कुल 7.917 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

२५/०४/२५

आज यह पत्रावली कैंवियट प्रार्थना पत्र मे अंकित भूमि के संबंध मे प्र.सं. 103/25 अनवान दर्शन सिंह बनाम जसविन्द्र सिंह द्वारा अन्तर्गत द्वारा 8892A, 188 R/A पेश होने पर पेशी में ली गयी वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र मे कैंवियट प्रार्थना को सुना गया। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली इसी स्तर पर बन्द की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

